

## केरल राज्य विद्युत बोर्ड

बनाम

हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य

16 नवम्बर 2006

[अरिजीत पसायत और एस.एच. कपाडिया, जे.जे.]

प्रशासनिक विधि

बैठक में निर्णय मिनट्स की पुष्टि न होना-राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा एक निश्चित समयावधि में कंक्रीट पावर टनल के निर्माण के लिए एक कंपनी के साथ अनुबंध करने का प्रभाव-समय का विस्तार। बोर्ड द्वारा अनुमति - विस्तारित अवधि के दौरान काम के लिए मुआवजे का दावा करने वाली कंपनी - बोर्ड ने दावे को अपने द्वारा गठित समिति को भेजा - समिति मंजूरी के लिए दावे की सिफारिश करती है - बोर्ड द्वारा स्वीकृत - कार्यवृत्त की पुष्टि न होने के आधार पर भुगतान से इनकार कर दिया गया बैठक कंपनी द्वारा अपने आदेशों को लागू करने के लिए बोर्ड को निर्देश जारी करने के लिए रिट याचिका दायर करना - उच्च न्यायालय ने बोर्ड को अपने आदेशों को लागू करने और भुगतान करने का निर्देश दिया - अपील पर, माना गया: मिनटों की पुष्टि न होने से निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पिछली बैठक में बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय- इसलिए, उच्च

न्यायालय का यह विचार कि बोर्ड द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णय को प्रभावी बनाया जाना है, को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

अपीलकर्ता-केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने लोअर पेरियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए एक कंक्रीट पावर टनल के निर्माण के लिए प्रतिवादी नंबर 1- हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ अनुबंध किया, जिसे अनुबंध की तारीख से 68 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। चूंकि कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका, इसलिए अपीलकर्ता ने कार्य पूरा करने का समय बढ़ाने की मंजूरी दे दी। प्रतिवादी-कंपनी विस्तारित अवधि के दौरान किए गए कार्य के विरुद्ध मुआवजे के रूप में कुछ दावे उठाती है।

उच्च न्यायालय ने बोर्ड को दो महीने के भीतर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया। बोर्ड ने निर्देश का पालन करने के लिए समय बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। बोर्ड ने हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में तदर्थ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे खारिज कर दिया। कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट अपील दायर की। रिट अपील के लंबित रहने के दौरान, कंपनी ने अतिरिक्त आधार जोड़कर रिट अपील में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे अनुमति दे दी गई। आक्षेपित निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय ने बोर्ड को अपने पहले के आदेश को लागू करने और कंपनी को आवश्यक भुगतान करने का

निर्देश देते हुए रिट अपील की अनुमति दी थी। इसलिए वर्तमान अपील और क्रॉस अपील।

अपीलकर्ता-बोर्ड ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि मिनटों की पुष्टि न करने से पहले लिए गए निर्णय को खत्म करने का प्रभाव नहीं पड़ता है; और बैठक के कार्यवृत्त की अगली बैठक में पुष्टि नहीं की जाती है, इसका मतलब है कि पिछली बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय को प्रभावी नहीं किया जाना था; इस प्रकार, निर्णय लागू करने योग्य नहीं है।

उत्तरदाताओं ने कहा कि बोर्ड का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था और मिनटों की पुष्टि न होने का प्रभाव किसी भी तरह से उस निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता जो पहले ही लिया जा चुका है।

कोर्ट ने अपील को संशोधन के साथ खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर उचित ध्यान दिया कि काफी समय तक कुछ नहीं हुआ। बोर्ड द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि बोर्ड ने अंततः कुछ राशि के भुगतान के लिए तदर्थ समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1465/2000

उच्च न्यायालय केरल के एर्नाकुलम में डब्ल्यू.ए. संख्या 343/1997  
निर्णय एवं आदेश दिनांक 5-12-1998 से।

साथ

सी.ए. नम्बर 2000 की संख्या 1466

टी.एल. विश्वनाथ लायर, सी.एस. राजन और एम.टी. जॉर्ज अपीलार्थी  
की ओर से।

एफ.एस. नरीमन, डेरियस खंबाटा, पी.एच. पारेख, भावेश पुंजवानी,  
समीर पारेख, अजय झा, सुमित गोयल और पी.वी. दिनेश उत्तरदाताओं की  
ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

अरिजीत पसायत, जे. इन अपीलों में केरल उच्च न्यायालय की एक  
खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले की वैधता को चुनौती दी गई है जिसमें कहा  
गया है कि अपीलकर्ता अपीलकर्ता-बोर्ड के दिनांक 19.4.1994 के आदेश को  
लागू करने के लिए उत्तरदायी था। आवश्यक भुगतान यथाशीघ्र करने के  
लिए 12.4.1994 और 30.4.1994 को लिए गए निर्णय के आधार पर  
परिणामी आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया। दिनांक 25.1.1997 को  
हुई बैठक में लिए गए निर्णय और दिनांक 29.3.1997 के आदेश द्वारा  
संसूचित किए गए निर्णय के आधार पर 19.4.1994 के पूर्व आदेश को रद्द  
करने के बोर्ड के निर्णय को रद्द कर दिया गया।

संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता-केरल राज्य विद्युत बोर्ड (इसके बाद 'के.एस.ई.बी.' के रूप में संदर्भित) ने 12.09 किलोमीटर लंबे और 6.65 मीटर व्यास वाले कंक्रीट के निर्माण के लिए प्रतिवादी नंबर 1- हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में 'एचसीसी') के साथ एक अनुबंध किया। 27.02.1984 को लोअर पेरियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए पावर टनल। अनुबंध का कार्य अनुबंध की तारीख से 68 महीनों के भीतर पूरा किया जाना था, यानी 26.10.1989 को या उससे पहले पूरा किया जाना चाहिए। कार्य की अनुमानित पी.ए.सी. रु. 14.92 करोड़। विभागीय सामग्री की लागत और पीएसी सहित 23.59 करोड़ रुपये थी।

30.06.1992 उस समय लागू अनुबंध के नियमों और शर्तों के अधीन।

कार्य का जो शेड्यूल तय किया गया था वह नीचे दिया गया है:

ड्राइविंग

तैयारी और चेहरे खोलना 2 महीने

ड्राइविंग एडिट्स 5 महीने

ड्राइविंग टनल उचित 75 मी/माह के लिए

एक ए.वी.1920 एम 26 महीने

कुल	33 महीने
<u>लाइनिंग तैयारी</u>	<u>2 महीने</u>
300 मीटर/माह पर कंक्रीटिंग फर्श भाग	
<u>1920 मी. के लिए</u>	<u>7 महीने</u>
कंक्रीटिंग पक्ष और आर्क 120 महिने	
<u>1920 मी के लिए</u>	<u>16 महीने</u>
<u>कार्य जैसे ग्राउटिंग आदि और एडिट प्लग करना</u>	<u>4 महीने</u>
कुल	29 महीने
<u>अंतिम सफाई और सौंपना</u>	<u>2 महीने</u>
<u>संभावित होल्ड अप</u>	<u>4 महीने</u>

एच.सी.सी. देरी के मुआवजे के रूप में कुछ दावे उठाती है। एचसीसी द्वारा अपने ज्ञापन दिनांक 6.5.1992 में गिनाए गए दावे और बाद में दिसंबर 1992 तक अद्यतन किए गए दावे निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत थे।

अंक क्रमांक 1	निष्फल के लिए मुआवजा	283.80 लाख रु
<u>ओवरहेड्स और निश्चित व्यय</u>		
अंक क्रमांक II	अतिरिक्त घटना के लिए मुआवजा	255.63 लाख रु

अंक संख्या III	वित्तपोषण की लागत (मूल 503.73 लाख)	
	बाद में अद्यतन की गई	639.25 लाख रु
अंक संख्या IV	विलंबित भुगतान पर ब्याज-	56.21 लाख रु
	(मूल-36.04 लाख) (बाद में अद्यतन)	
अंक संख्या V	अतिरिक्त आइटम	160.01 लाख रु.
अंक संख्या VI	दावे (लंबित दावे और	293.68 लाख रु
	अतिरिक्त आइटम)	
कुल		1688.08 लाख रु.

दिनांक 8.7.1992 को एचसीसी के साथ बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों की एक बैठक हुई और केएसईबी के अध्यक्ष ने एचसीसी की इच्छानुसार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन पर सहमति व्यक्त की।

दिनांक 02.03.1993 को, केएसईबी ने एचसीसी द्वारा उठाए गए दावों को देखने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन किया। समिति के संदर्भ की शर्तें दिनांक 6.5.1992 के ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों और 8.7.1992 को एचसीसी के साथ पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा की गई चर्चा के मिनटों के अनुसार सीमित थीं। समिति के कामकाज शुरू करने के बाद, अन्य मुद्दों जैसे कि उनके दावों के खिलाफ 350 लाख रुपये की अंतरिम राहत के लिए कंपनी का अनुरोध और सुरंग में टूट-फूट पर गैर भुगतान योग्य कंक्रिटिंग

के लिए उपयोग की जाने वाली सीमेंट की वसूली दर से संबंधित मुद्दों को भी मुख्य अभियंता का पत्र क्रमांक D4-LPT1/93 दिनांक 26.6.1993 को समिति को भेजा गया था।

05.08.1993 को तदर्थ समिति ने 250 लाख रुपये की अंतरिम धनराशि जारी करने की सिफारिश की।

दिनांक 02.09.1993 को, केएसईबी द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति ने एचसीसी के दावे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें केएसईबी को रुपये के कुल दावे के मुकाबले 808.26 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश की गई। एचसीसी द्वारा 1688.08 लाख रु. समिति की उक्त सिफारिशें निम्नलिखित निष्कर्षों पर आधारित थीं:

(1) कार्य के निष्पादन के विभिन्न चरणों और अवधियों में हुई विभिन्न देरी, कुल मिलाकर 47 महीने, एचसीसी के नियंत्रण से परे थीं या अनुबंध के सी1.8 के तहत परिभाषित "अपेक्षित जोखिम" के अंतर्गत आती थीं।

(2) कि, 68 महीने के मूल समापन समय से परे 47 महीने की देरी को कवर करने के लिए समय का विस्तार देने में, के.एस.ई.बी. ने न केवल कोई जुर्माना लगाया या किसी अन्य एजेंसी द्वारा किसी भी स्तर पर शेष कार्य समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। एच.सी.सी का जोखिम और



लागत, लेकिन विस्तारित अवधि के दौरान दरों को निर्धारित करने के लिए लागत वृद्धि से संबंधित अनुबंध प्रावधानों को लागू करना भी जारी रखा।

(3) एच.सी.सी द्वारा मुआवजे का दावा करने का अधिकारी जापन C1.18 "अप्रत्याशित घटना" के स्पष्ट प्रावधानों पर आधारित है

इसके बाद, 13.10.1993 को बोर्ड ने तदर्थ समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने और बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए बोर्ड को एक नोट प्रस्तुत करने के लिए एक उप समिति का गठन किया।

उक्त उप समिति ने 10.11.1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिफारिश की गई कि पूर्णकालिक सदस्य पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते के लिए तदर्थ समिति की रिपोर्ट में शामिल विभिन्न मामलों पर ठेकेदार के साथ चर्चा कर सकते हैं।

बोर्ड ने 12.04.1994 को आयोजित अपनी बैठक में 250 लाख रुपये का ब्याज मुक्त तदर्थ अग्रिम स्वीकृत करने का निर्णय लिया, जिसे एचसीसी को देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

केएसईबी ने 19.04.1994 को मेसर्स को 250 लाख रुपये का ब्याज मुक्त तदर्थ अग्रिम भुगतान करने की मंजूरी दी। एचसीसी जिसे तदर्थ की सिफारिशों के आधार पर कंपनी को देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाना था

30.04.1994 को केएसईबी के बोर्ड ने एचसीसी को 808.26 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया, जो रिपोर्ट में दर्शाई गई मात्रा के संबंध में राशि के समायोजन के अधीन थी।

बोर्ड ने तदर्थ समिति की रिपोर्ट के अनुसार भुगतान से संबंधित दिनांक 30.4.1994 के मिनट्स की पुष्टि इस आधार पर नहीं की कि बोर्ड को इस मामले पर आगे चर्चा करने की आवश्यकता है।

चूंकि एचसीसी को भुगतान से संबंधित प्रश्न विधानसभा में उठाया गया था, राज्य सरकार जनहित में पुनः जांच करने के लिए सहमत हुई।

एचसीसी और केएसईबी के बीच 25.09.1994 को एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में केएसईबी के अध्यक्ष का कहना है कि इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा

एचसीसी ने इंटर- के साथ केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 का ओपी नंबर 762 दायर की, जिसमें अंतर संबंधी राहते थी-

ए- बोर्ड के आदेश दिनांक 19.04.1994 को लागू करना।

बी- बोर्ड के आधार पर परिणामी आदेश जारी करने का निर्देश देना  
30.04.1994 को बोर्ड की बैठक में आंतरिक निर्णय जो कि जारी हुआ था।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों के अनुसार पेश की गई फाइलों पर गौर करने के बाद माना कि मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और बोर्ड को दो महीने के भीतर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया।

एचसीसी ने 31.10.1996 को बोर्ड से फैसले के मद्देनजर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया। अनुरोध 02.12.1996 को दोहराया गया था।

के.एस.ई.बी. ने दिनांक 04.10.1996 के निर्देश की अनुपालन में समय विस्तार के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।

बोर्ड ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर तदर्थ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और 25.01.1997 को तदर्थ समिति की सिफारिशों को खारिज कर दिया। एच.सी.सी. ने 1996 के ओ.पी.नंबर 7623 में दिनांक 4.10.1996 के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अपील संख्या 343/1997 दायर की। रिट अपील 12.02.1997 को दायर की गई थी।

इसके बाद 29.03.1997 को बोर्ड ने 19.4.1994 के आदेश को रद्द करते हुए औपचारिक आदेश पारित किया।

रिट अपील के लंबित रहने के दौरान, एच.सी.सी. ने अतिरिक्त आधार जोड़कर रिट अपील में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे अनुमति दे दी गई।

आक्षेपित निर्णय द्वारा, रिट अपील की अनुमति दी गई, जिसमें बोर्ड को बोर्ड के दिनांक 19.4.1994 के आदेश को लागू करने और बोर्ड के दिनांक 12.4.1994 और 30.4.1994 के निर्णय के आधार पर परिणामी

आदेश जारी करने और बनाने का निर्देश दिया गया। आवश्यक भुगतान एवं बोर्ड का आदेश दिनांक 29.3.1997 निरस्त कर दिया गया।

उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में कहा कि 30.5.1994 को हुई बैठक में मिनटों की पुष्टि नहीं करने का बाद का निर्णय किसी भी तरह से 19.4.1994 को बोर्ड द्वारा पहले लिए गए निर्णय को कमजोर नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय का विचार था कि कार्यवृत्त की पुष्टि न होने पर लिए गए निर्णय को रद्द करने का प्रभाव नहीं होसता। तदनुसार उपर बताए गए निर्देश दिए गए थे।

2000 की सिविल अपील संख्या 1465 के.एस.ई.बी. द्वारा दायर की गई है, जबकि 2000 की सिविल अपील संख्या 1466 केरल राज्य द्वारा दायर की गई है। प्रत्येक मामले में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय में निष्कर्ष निकालने में गलती की कार्यवृत्त की पुष्टि न होने से पहले लिए गए निर्णय को रद्द करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब बैठक के कार्यवृत्त की अगली बैठक में पुष्टि नहीं की जाती है। इसका मतलब यह है कि पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू नहीं करने का इरादा था।

अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि निर्णय लागू करने योग्य नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि ब्याज देय नहीं है और पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर, यह न्यायालय ने उत्तरदाताओं को भुगतान का निर्देश

दिया था जो कि किया गया है और कुछ भी नहीं आगे भुगतान करना होगा। जवाब में, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने कहा कि बोर्ड का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था और मिनटों की पुष्टि न होने का प्रभाव किसी भी तरह से उस निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता जो पहले ही हो चुका था।

यदि कोई 30.4.1994 के कार्यवृत्त को पढ़ता है जिसकी पुष्टि 30.5.1994 को हुई बैठक में नहीं की गई थी तो यह स्पष्ट है कि यह केवल नोट किया गया था कि बोर्ड ने इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर सही गौर किया कि लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ। जवाबी हलफनामा दायर कर कहा गया कि बोर्ड ने अंततः 808.26 लाख रुपये के भुगतान के लिए तदर्थ समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उस पर आदेश को लागू करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। समिति का गठन अपीलकर्ता-बोर्ड द्वारा किया गया था। अलग-अलग समय पर लिए गए अलग-अलग रुख से पता चलता है कि उद्देश्य भुगतान से बचना था। जिस तदर्थ समिति नियुक्त की गई थी उसमें क्षेत्र के विशेषज्ञ और सरकार के अतिरिक्त सचिव भी शामिल थे। इक्कीस बैठकें आयोजित की गयीं, साइट का दौरा किया गया और बड़े पैमाने पर दस्तावेजों पर विचार किया गया। पूरे मामले पर बहुत विस्तार से विचार करने के बाद, उत्तरदाताओं द्वारा 1688.08 लाख रुपये के दावे के मुकाबले 808.26 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश की गई। बोर्ड

ने एक और उप-समिति का गठन किया जिसमें दो सदस्य शामिल थे, जिनमें से एक तदर्थ समिति में बोआ का संयोजक और प्रतिनिधि था। सिफारिशों और रिपोर्ट पर विचार करने के बाद बोर्ड ने अंतर भुगतान के रूप में 250 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया। 30.04.1994 को सर्वसम्मति से तदर्थ समिति के अनुसार 808 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का परीक्षण करने के लिए केवल एक चीज जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह मिनटों की पुष्टि ने होने का प्रभाव है।

शेकलटन आन द ला एंड प्रैक्टिस आफ मीटिंग्स, दसवीं एडिशन पृष्ठ 86 में इसे इस प्रकार कहा गया है-

प्रारूपण कार्यवृत्त में आवश्यक बिंदु-

कार्यवृत्त संबंधित निकाय के नाम से शुरू होना चाहिए और बैठक का प्रकार (जैसे कार्यकारी समिति) बताना चाहिए। उन्हें बैठक की तारीख, समय और स्थान और बैठक समाप्त होने का समय (मिनट के अंत में) बताना चाहिए। उनमें उपस्थित और "उपस्थित" सदस्यों के नामों का रिकॉर्ड भी होना चाहिए, और क्या वे पूरी बैठक में या उसके कुछ भाग के लिए उपस्थित थे या सूची उपस्थिति पत्रक या अन्य दस्तावेज का एक

नोट जहां उनके नाम पाए जा सकते हैं। उन्हें कुर्सी संभालने वाले सदस्य का नाम भी दर्ज करना चाहिए।

(ए) ऐसा करने के लिए सर्वोत्तम स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा लिया जाएगा। स्वतंत्रता, विवेक और संगठन के व्यवसाय की अच्छी समझ यहां महत्वपूर्ण हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि जिस सदस्य को बैठक में महत्वपूर्ण योगदान देने की आवश्यकता है।

(बी) यदि मिनटों में कोई विशेष रूप से जटिल या तकनीकी क्षेत्र दर्ज किया गया है तो सटीक रहें, ड्राफ्ट मिनट्स तैयार करते समय पूर्ण सटीकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सदस्य के साथ इन्हें दोबारा जांचना अच्छा अभ्यास है। सभी सदस्यों को वितरित करने से पहले बैठक के अध्यक्ष को पहले मसौदे पर टिप्पणी करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

(सी) स्पष्ट और सुस्पष्ट मिनटों को आसानी से समझा जाना चाहिए। केवल सदस्यों द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य लोगों द्वारा जिन्हें कुछ अच्छा करने की आवश्यकता हो सकती है।

(डी) अच्छी तरह से संरचित होने पर एक अच्छा मिनट लेने वाला उन चर्चाओं की रिकॉर्डिंग को छोड़ने में सक्षम होगा जो एजेंडा आइटम से भटक गई थी और प्रासंगिक नहीं थी। यदि बैठक की अध्यक्षता अच्छी तरह से नहीं की गई थी और विभाग ने एजेंडा आदेश का कड़ाई से पालन

नहीं किया था, तो उसे एजेंडे के साथ जुड़ने के लिए मिनटों को फिर से व्यवस्थित करना चाहिए।

(ई) संक्षिप्त हो, न कि बहुत लंबा या बहुत छोटा, यह निश्चित रूप से संगठन की संस्कृति और शैली और अध्यक्ष की व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है।

(एफ) प्रत्येक आइटम पर चर्चा के आवश्यक तत्वों को रिकार्ड और वर्णन करे जो कार्यवाही को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सदस्यों को अगली बार बोलने के लिए प्रोत्साहित करेगा और संगठन को यह याद दिलाने में भी मदद करेगा कि उन्होंने यह विशेष निर्णय क्यों लिया और वे इस पर कैसे पहुंचे। सभी संकल्पों का पूरा पाठ रिकार्ड किया जाना चाहिए।

(जी) टिप्पणी और राय की अभिव्यक्ति से बचें जब तक कि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा न हो।

(एच) समय पर तैयार किया जाना चाहिए, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मिनट आदर्श रूप से बैठक के 48 घंटों के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। बैठक के किसी भी वार्षिक कार्यक्रम और प्रत्येक के बीच की समय अवधि को ध्यान में रखते हुए, बैठक के बाद सदस्यों को मिनटों के वितरण के लिए मिनट लेने वाले को अध्यक्ष के साथ एक समझदार समय अवधि पर सहमत होना चाहिए। उसे इस बात पर भी सहमत होना चाहिए



कि क्या बैठक में उपस्थित कोई भी व्यक्ति कार्यवृत्त की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार है।

बैठक में घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए भूतकाल का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे "ऐसा बताया गया था," और बैठक से पहले की घटनाओं के लिए पूर्ण भूतकाल, जैसे "मिस्टर एक्स ने बताया कि उन्होंने अपना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।"

सुझाए गए सुधारों के साथ मिनटों के उदाहरण निम्नलिखित हैं: श्री एक्स ने बताया कि हमने जेड कंपनी लिमिटेड से संतोषजनक शर्तों पर एक और अनुबंध हासिल कर लिया है।

"कंपनी" के स्थान पर "हम" शब्द का प्रयोग एक सामान्य गलती है। इसके अलावा, मिनट में महत्वपूर्ण विवरण छूट जाते हैं।

निम्नलिखित को अधिक उपयोगी रिकॉर्ड के रूप में सुझाया गया है:

IA मिस्टर एक्स प्रति टन, कंपनी के बर्मिंघम कारखाने में पहुंचाया जाएगा, जुलाई/दिसंबर [वर्ष] में आवश्यकतानुसार डिलीवरी होगी। पिछला अनुबंध £..प्रति टन पर था। अनुबंध के अनुमोदन की पुष्टि की गई।

निदेशको की बैठक से यह निर्णय लिया गया कि उत्पादित 1000 साधारण शेयरो के हस्तांतरण को मंजूरी दी जाए और पारित किया जाए। बैठक में, कंपनी में 1,000 साधारण शेयरों से संबंधित हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता का विवरण नीचे दिया गया है और उन्हें पंजीकरण के लिए

अनुमोदित किया गया है और कंपनी की सामान्य मुहर प्रमाणपत्र संख्या पर लगाई जाएगी।

एक चैरिटी की बैठक से:

3 श्री जोन्स ने कहा कि इससे पहले कि हम सामान्य व्यवसाय की ओर बढ़ें, एक याचिका है जो सेंट एल्बंस शाखा द्वारा दान पर वैंट से राहत के लिए प्रस्तुत की जा रही है। आज रात यहां याचिका प्रपत्र हैं और हम आशा करते हैं कि यदि संभव हो तो जाने से पहले आप सभी इस पर हस्ताक्षर करेंगे।

एक उन्नत संस्करण:

3 ए कोषाध्यक्ष ने एक याचिका की ओर ध्यान आकर्षित किया जो सेंट एल्बंस शाखा द्वारा दान पर वैंट से राहत के लिए प्रस्तुत की जा रही थी और सदस्यों को बैठक के समापन पर इस पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया।

प्रबंधन बैठक के कार्यवृत्त से:

4 रेडियो, कैब, यार्ड और सामान्य हाउसकीपिंग बेहद खराब थी।  
सामान्य टिप्पणी: "एक अपमान"!

इसे इस प्रकार बेहतर ढंग से लिखा जा सकता है:

4 ए उपस्थित लोगों ने महसूस किया कि हाउसकीपिंग का मानक, विशेष रूप से रेडियो, कैब और यार्ड के संबंध में, बेहद खराब था और वास्तव में अपमानजनक था, इस बात पर सहमति हुई कि (कार्रवाई की जाएगी, किसके द्वारा और किस समय-सीमा में की जाएगी।)

एक पैराग्राफ के भीतर हर वाक्य को उन शब्दों के साथ पेश करना आवश्यक नहीं हो सकता है जो रिपोर्ट किए गए भाषण का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी एसोसिएशन की परिषद की बैठक का कार्यवृत्त (बिल्कुल सही ढंग से) इस प्रकार पढ़ा जा सकता है।

5 अध्यक्ष ने 1996 के आंकड़ों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने भंडार की समाप्ति से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि, पुरस्कारों पर अतिरिक्त खर्च के साथ, संसाधनों पर दबाव तीव्र होगा। उन्होंने बताया कि समस्या का एक हिस्सा पिछली परिषदों द्वारा सदस्यता दरों में वृद्धि न करने के निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ था।

इसे इस प्रकार बेहतर तरीके से रिपोर्ट किया जा सकता है-

अध्यक्ष ने 1996 के आंकड़ों पर निराशा व्यक्त की। एसए पुरस्कारों पर अतिरिक्त व्यय के साथ, और क्योंकि पिछली परिषदों ने सदस्यता दरों में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया था, भंडार की समाप्ति से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक थी।

प्रस्तावों के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम आमतौर पर दिखाए जाते हैं, लेकिन मतदान का विवरण दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव, जिनका समर्थन नहीं किया गया है, उन्हें रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि यह सदस्यों की सामूहिक इच्छा को समझने में उपयोगी हो सकता है।

## 6. कार्यवृत्त की पुष्टि

एक बार लिए गए निर्णयों की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती: एक साधारण बैठक में इसे अगली बार पढ़ना सामान्य प्रक्रिया थी।

पिछले संकल्पों को पूरा करना। दो बैठकों में से दूसरी बैठक में पहली बैठक में स्वीकार किए गए मतों के संबंध में काफी विविधता थी, लेकिन निर्णय इस आशय का था कि पहली बैठक में कानूनी रूप से जो किया गया था, उसकी दूसरी वेस्टी द्वारा पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं थी, यदि पहली कानूनी बैठक थी, उसमें चुनाव कानूनी था।

हालाँकि, पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के सटीक रिकॉर्ड के रूप में मिनटों की पुष्टि आमतौर पर उन्हें अगली बैठक के अध्यक्ष को हस्ताक्षर के लिए जमा करके प्राप्त की जाती है। यदि उन्हें पहले प्रसारित नहीं किया गया है तो वह सचिव से उन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे, और, यदि बैठक में पुष्टि होती है (आमतौर पर हाथ उठाकर) कि वे एक सही रिकॉर्ड हैं, तो वह

उन पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि उन्हें पहले ही प्रसारित किया जा चुका है, तो वह उन्हें पढ़े बिना ही उन पर हस्ताक्षर कर देगा, मैं इससे सहमत हूँ।

जो अध्यक्ष अगली बैठक में कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करता है, उसे अनिवार्य रूप से पिछली बैठक का अध्यक्ष होना चाहिए या उस बैठक में उपस्थित होना चाहिए, जिसके कार्यवृत्त एक रिकार्ड है, उन पर हस्ताक्षर करने की कार्यवाही केवल यह दर्ज करने के लिए है कि वे व्यवसाय का एक ही रिकार्ड है

तथापि ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब अध्यक्ष हालांकि रिकार्ड की सटीकता पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं है, कार्यवृत्त देने से इंकार कर देता है। ऐसे मामलों में कार्यवृत्त में यह रिकार्ड किया जाना चाहिए कि पिछली बैठक का कार्यवृत्त सही था।

यदि बैठकों के बीच पर्याप्त अंतराल हो, जो अध्यक्ष मिनट्स तैयार होते ही उन पर हस्ताक्षर करें, यह शक्ति तब भी उपयोगी होता है जब तीसरे पक्ष को यह पुष्टि करने के लिए मिनटों की आवश्यकता होती है कि कोई विशेष निर्णय लिया गया है।

चेतकर झा बनाम विश्वनाथ प्रसाद वर्मा और अन्य, [1971] 1 एससीआर 586 में इसे अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार नोट किया गया था।

"तो सवाल यह है कि क्या 3 जुलाई, 1963 को बैठक से पहले तैयार किए गए और रखे गए मिनटों में बदलाव किया जा सकता है, जैसा कि उस दिन किया गया था। यह बदलाव स्पष्ट रूप से मामूली या लिपिकीय त्रुटि का नहीं था, बल्कि एक बड़ा बदलाव था। बैठक के कार्यवृत्त को भविष्य में होने वाले विवादों से बचाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। वे इस तथ्य का रिकॉर्ड हैं कि एक बैठक आयोजित की गई थी और उसमें लिए गए निर्णय का रिकॉर्ड है। आम तौर पर उन्हें बैठक की समाप्ति के बाद लिखा जाता है, अक्सर उस व्यक्ति द्वारा लिए गए मोटे नोट्स से जो उनका मसौदा तैयार करता है और फिर अगली बैठक से पहले रखा जाता है जिसे आम तौर पर "पुष्टि" के रूप में जाना जाता है, हालांकि उन्हें सत्यापन के लिए रखा जाता है और पुष्टि के लिए नहीं। वास्तव में, पहले से लिए गए निर्णय की अगली बैठक में पुष्टि का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक बार लिए गए निर्णय के लिए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। तदनुसार, जब किसी बैठक के कार्यवृत्त अगली बैठक से पहले रखे जाते हैं तो केवल यह देखा जा सकता है कि पिछली बैठक में लिया गया निर्णय ठीक से दर्ज किया गया है या नहीं। इसलिए, मिनटों की सटीकता और निर्णय

की वैधता बैठक से पहले नहीं है। एक बार जब कोई निर्णय विधिवत ले लिया जाता है तो इसे केवल ऐसे परिवर्तन के लिए उचित रूप से अपनाए गए ठोस प्रस्ताव द्वारा ही बदला जा सकता है। वे हैं, उन्हें वास्तविक निर्णय के अनुरूप लाने के लिए बदला नहीं जा सकता। (ऑफ. टैलबोट, डब्ल्यू.एफ., कंपनी मीटिंग्स, (1951 संस्करण. पी.82)। 3 जुलाई 1963 की बैठक में ठीक यही किया गया था और सिंडिकेट के अध्यक्ष द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम पर कोई आपत्ति वैध रूप से नहीं की जा सकती थी। विशेष रूप से तब जब वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने बदलाव के खिलाफ कोई विरोध नहीं जताया था। श्री झा द्वारा इन री बोथेरहैम एलम एंड केमिकल कंपनी (1884 (25) Ch.D.p.103) में जिस निर्णय पर भरोसा किया गया वह पूरी तरह से एक अलग प्रश्न पर है और किसी भी तरह का नहीं हो सकता है।

चूँकि कुलपति अपनी समझ में सही थे कि 7 मई 1963 की बैठक में जो निर्णय लिया गया था, वह आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं करना था और चूँकि इस तरह से स्वीकार करने से इनकार करने का मतलब धारा 26(4) के तहत था कि मामले को वापस भेज दिया जाना चाहिए। अनुशंसा के लिए आयोग के पास, आयोग से

पुनर्विचार करने के लिए कहने की उनकी कार्रवाई स्पष्ट रूप से धारा 26(4) के अंतर्गत आती है और हो सकती है। जैसा कि कुलाधिपति ने कहा, इसे अनुचित नहीं कहा जाएगा। चूँकि वह वास्तव में सिंडिकेट का निर्णय था, इसलिए कुलपति बाध्य थे।

अपनी सिफ़ारिश पर पुनर्विचार करने के लिए आयोग को पत्र लिखकर इसका पालन करें। चांसलर की इस टिप्पणी की सराहना करना थोड़ा मुश्किल है कि वह कार्रवाई अनुचित थी क्योंकि यह सिंडिकेट की मंजूरी के बिना थी। एक बार जब सिंडिकेट ने सिफ़ारिश को स्वीकार न करने का निर्णय ले लिया, तो यह धारा के तहत अनिवार्य था। 26(4) मामले को आयोग को वापस भेजने के लिए। कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई परिणामी थी और इसके लिए सिंडिकेट की और मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। कुलाधिपति का विचार भी उतना ही अस्थिर था कि 3 जुलाई, 1963 को कार्यवृत्त में किए गए परिवर्तन से पहले के निर्णय का पुनपरीक्षण या खंडन किया गया था या नियम के अनुसार छः महीने की समाप्ति से पहले ऐसा संशोधन या निरस्तीकरण नहीं किया जा सकता था। 1952 में सिंडिकेट द्वारा पारित किया गया, हमारे विचार में, संशोधित विज्ञापन, मामले को आयोग को



सौंपना आयोग द्वारा प्रतिवादी 1 की सिफारिश और 3 जुलाई 1963 की सिंडिकेट बैठक की कार्यवाही में संशोधन के मसौदे को शामिल किया गया है। कार्यवृत्त सभी अधिनियम और विश्वविद्यालय कानून के प्रावधानों के अनुसार थे और इसलिए कुलपति के पास अधिनियम की धारा 9(4) के तहत सिंडिकेट के निर्णय या 3 जुलाई 1963 की बैठक की कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।”

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में, प्रतिवादियों को 500 लाख रुपये का भुगतान किया गया है और 2.5.2006 के आदेश के अनुसार 300 लाख रुपये जमा किए गए हैं। यह राशि फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने के लिए इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा कर दी गई है। यह राशि उत्तरदाताओं को उस पर अर्जित ब्याज सहित जारी की जाए। उत्तरदाता भुगतान की गई राशि और भुगतान से संबंधित ब्याज तत्वों के समायोजन के बाद डिवीजन बेंच के फैसले की तारीख यानी 15.12.1998 से 7.5% की दर से ब्याज के हकदार होंगे। शेष राशि का भुगतान आज से तीन माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

उपरोक्त संशोधनों के साथ अपीलें खारिज की जाती हैं। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीले संशोधनों के साथ खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती अक्षि कंसल, विशिष्ठ न्यायाधीश (सती निवारण) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।